

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

(क) श्रम

| विभाग का नाम | सेवा तथा पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | शैक्षणिक विशिष्टियां | टिप्पणी |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| श्रम विभाग | श्रम पदाधिकारी | 21 वर्ष | 30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि | |

(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

| | | | | | |
|--|--|---------|---------|---|--|
| | सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | 21 वर्ष | 30 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि अथवा राज्य शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष उपाधि | |
| | सहायक संचालक (चिकित्सा) | 21 वर्ष | 30 वर्ष | शासन द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.बी.एस. की उपाधि तथा मेडिकल काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य | |

टीप:- आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश भी लागू होंगे।